## ट्रस्ट की नियमावली

5. ट्रस्ट के धन का विनियोग –

1– ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।

2– उपर्युक्त उद्देश्यो की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एंव व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हों उन्हें करना।

3– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश–विदेश से दान व ऋण, पथ्य किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय, प्रबन्ध हस्तांतरण, विनिमय, बंधक, दृष्टि बंधक पट्टे, गिरवी या किसी भी भांति से उपयोग में लाना।

5– अपने समस्त कार्यों हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो, अर्थात् लाभकारी हों।

6–किसी व्यक्ति, कम्पनी, सोसाइटी सरकार, संस्था, संगठन या किसी से चल या अचल संम्पत्ति को प्रत्येक रूप मे क्रय करके, पट्टा गिरवी कर्ज अनुदान पैतृक सम्पत्ति वसीयत विनियम अधिकार अथवा अन्य विधि से सभी रूपों में प्राप्त करना जो ट्रस्ट के किसी उद्देश्य के लिए लाभदायक या आवश्यक समझे जाए।

ट्रस्ट मण्डल :–

1– ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमे समस्त पदाधिकारी व सदस्य ट्रस्टीज होगें। उनकी कुल संख्या न्यूनतम 08 (आठ) होगी।

2– ट्रस्ट में साधारण सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार बैठक करके मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/अध्यक्ष के अनुमोदन से की जा सकती है।

3– ट्रस्ट के 08 पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होगा और उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिससे वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनके स्थान पर नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टिज/प्रबन्धक/अध्यक्ष के निर्णय से शेष कार्यकाल तक के लिए की जायेगी।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/अध्यक्ष के हस्ताक्षर से समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

5– किसी भी विषय पर मामले के निस्तारण हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/अध्यक्ष का निर्णय ही सर्व मान्य होगा।

6– ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का कियान्वयन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/अध्यक्ष की सहमति के बाद ही मान्य होगा।

7– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 2/3 ट्रस्टियों की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।

8– ट्रस्ट मण्डल 2/3 मैनेजिंग ट्रस्टीज़ के अनुमोदन से ट्रस्ट के कार्यो का सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है।

9–ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर उनके अधिकारों को समाप्त करने का अधिकार ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।

10–ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्यों को पूरा करने और आगे बढाने के लिए कर्मचारियों के लिए भवन या आवासीय घरों या अन्य किस्म के भवनों का निर्माण करना और उनकी देख–रेख करना, विकसित करना, उनको बेहतर बनाना और उसे या उसके किसी भाग में परिवर्तन मरम्मत करना, उनको तोड़ना या पुनर्निर्माण करना।

11–किसी कम्पनी में या सोसाइटी में चाहे वह समाविष्ट की हुई हो या नही या किसी जीवित व्यक्ति द्वारा दी गई हो या पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई हो उसे किसी उपहार चाहे वह रूपये, सम्पत्ति चल या अचल, योगदान को ऋणपत्र, स्टाक, शेयर या प्रतिभूतियों के रूप में लेना। वसीयतें या संस्था और चाहें वह किसी विशेष ट्रस्ट के अधीन हो या नही, किसी एक ट्रस्ट का हो या अधिक ट्रस्टों का, या उनसे सम्बंधित कार्यो के लिए हो और ऐसे योगदानों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

12–जमानत के साथ या बिना जमानत के किसी भी तरह जिसे ट्रस्ट समय–समय पर उधार लेना या धन एकत्र करना और उसे अदा करना उपयुक्त समझे।

13–जब कभी ट्रस्ट के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई आय स्कूलों, कालेजों और अन्य उनसें जुडी संस्थाओं को चल और अचल सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हो उसे प्रयोग करना।

14–उन सभी कामों को साधारण रूप से करना या कराना जो ट्रस्ट के लाभार्थिओं के कल्याण के अनुकूल हों यह है कि वह चीजें व काम उस कानून की आत्मा और सिद्धान्तों के विपरीत या प्रतिकूल न हों जिसके अन्तर्गत ट्रस्ट स्थापित किया गया है।

15–जब कभी ट्रस्टी महसूस करें कि ट्रस्ट को भंग हो जाना चाहिए तो वह इस उद्देश्य के लिए बोर्ड की एक बैठक आयोजित करके बोर्ड के सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके उसे भंग कर सकते है और उसकी सम्पत्तियों और देनदारियों को समान उद्देश्य वाली संस्था के हवाले कर सकते है जैसा कि ट्रस्टियों के बोर्ड द्वारा बहुमत का फैसला हो।